133

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : के0सी0 जैन
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–1571–दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 05–05–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक–183/अपील/2012–13

.....

1–देवशरण पिता नथुनीराम विश्वकर्मा
निवासी ग्राम सर्राटोला तहसील सरई
जिला सिंगरौली म0प्र0
2–राजेन्द्र प्रसाद पिता ठाकुरदीन विश्वकर्मा
निवासी–जियावन तहसील देवसर
जिला सिंगरौली

———आवेदकगण

विरूद्ध

1– गोविन्द पिता रामखेलावन विश्वकर्मा
2– अंजनी पिता रामखेलावन विश्वकर्मा
3– बिहारी पिता रामखेलावन विश्वकर्मा
4– ललन पिता राखेलावन विश्वकर्मा
5– बूटी पिता रामखेलावन विश्वकर्मा
6– छोटकी पिता रामखेलावन विश्वकर्मा
7– रामशरण पिता नथुनीराम विश्वकर्मा
सभी निवासी ग्राम सर्राटोला तहसील सरई
जिला सिंगरौली म0प्र0

———अनावेदकगण

.....

श्री शिवप्रसाद द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री नृपेन्द्र मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक २२ अगस्त 2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त

रीवा संभाग के प्रकरण क्रमांक 183 / अपील / 12–13 पारित आदेश दिनांक 05–05–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2 / प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण की ओर से पूर्व के आपसी बटवारा के आधार पर तहसील न्यायालय में खाता विभाजन हेतु आवेदन दिया गया। तहसीलदार देवसर ने प्रकरण कमांक 39 / अ–27 / 2009–10 में पारित आदेश दिनांक 9–8–2010 द्वारा आदेश पारित कर बटवारा स्वीकृत किया गया। अनावेदकगण द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 16–11–12 द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया। आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 5–5–14 के द्वारा खारिज की गई। अपर आयुक्त उक्त से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

3 / आवेदक के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि प्रश्नाधीन भूमि का पूर्व में आपसी सहमति से बाहमी बटवारा हो गया था। उक्त बाहमी बटवारे के अनुसार ही आज दिनांक तक कब्जा दखल चला आ रहा है। इसी बाहमी बटवारे के आधार पर तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण द्वारा बटवारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था। तहसीलदार द्वारा विधिवत अनावेदकगण को सूचना पत्र जारी किये गये थे जिसके पश्चात अनावदेकण प्रकरण में उपस्थित हुये और आदेशिका पर सहमति देते हुये हस्ताक्षर किये गये। अनावेदकगण की ओर से किसी प्रकार आपत्ति बटवारे के संबंध में प्रस्तुत नहीं की गई थी। तत्पश्चात तहसीलदार द्वारा बटवारा आदेश पारित किया गया। यह भी तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदकगण के हस्ताक्षर को संदिग्ध मानकर तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की है। तर्क में यह भी बताया कि यदि अनावेदकण का कहना था कि तहसीलदार के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर उनके नहीं थे तो उन्हें अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में हेण्डराईटिंग

एक्सपर्ट से जांच करना चाहिए थी, जो कि नहीं कराई गई है और अनुविभागीय अधिकारी ने मात्र संभावना के आधार पर आदेश पारित कर तहसीलदार के विधिसम्मत आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की है। अपर आयुक्त द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की है। अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ अनावेदक के अभिषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण को विधिवत नोटिस जारी नहीं किया। नोटिस की प्रति में तामीली रिपोर्ट दर्ज नहीं है तथा किसी राजस्व कर्मचारी द्वारा तामली करने के संबंध में कोई हस्ताक्षर भी नहीं है। यह भी तर्क दिया कि अनावेदक द्वारा किसी प्रकार सहमति बटवारे हेतु प्रदान नहीं की गई तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये तहसीलदार द्वारा आदेश पारित कर दिया। तर्क में यह भी कहा कि बिना बटवारा पुल्ली पर हस्ताक्षर किये तहसीलदार द्वारा बटवारा आदेश पारित करने में त्रुटि की है। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार के बटवारा आदेश को निरस्त करने में उचित कार्यवाही की है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थय न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बटवारा हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार ने अनावेदकगण को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये हैं जिसके पालन में पेशी दिनांक 11–8–09 को उपस्थित होने हेतु अनोवदकगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किये गये हैं जिनके पृष्ठ भाग पर अनावेदकगण के व्यक्तिशः हस्ताक्षर बने हुये हैं। विचारण न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 25–8–09 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर हस्ताक्षर किये हैं। अनावेदक अभिभाषक का यह तर्क मान्य नहीं किया जा सकता कि उन्हें सुनवाई

एवं पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान नहीं किया गया। जहां तक आवेदक अभिभाषक द्वारा उठाये गये सहमति से पारित आदेश का प्रश्न है, विचारण न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 25–8–09 में अंकित है–

"प्रकरण पेश, आवेदकगण उपस्थित। अनावेदकगण उपस्थित। सभी ने बटवारा से सहमति दी है। पटवारी मौके के बटवारा अनुसार पुल्ली तैयार करें।"

स्पष्ट है कि अनावेदकगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर सहमति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर किये हैं। अपितु संहिता की धारा 178 में प्रावधानित है कि बटवारा फर्द पर उभय पक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए, किन्तु जैसा कि उपर विश्लेषण किया गया है जब अनावेदकगण द्वारा सहमति स्वरूप उपस्थित होकर सहमति दे दी थी और तत्पश्चात उनके द्वारा प्रकरण में आदेश होने तक किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि वे तत्समय बटवारे से असंतुष्ट थे। जहां तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है अनुविभागीय अधिकारी ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने में त्रुटि की है क्योंकि सहमति से पारित आदेश के विरूद्ध अपील वर्जित होती है। 2007 आर एन 359 लालाराम विरूद्ध नारायण तथा एक अन्य में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिकदृष्टांत प्रतिपादित किया गया है–

" भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) – धारा 44 तथा 178 –– विभाजन का आदेश दोनों पक्षकारों की सहमति से पारित किया गया –– ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील नहीं होती।"

जहां तक अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संतोषिया के मृत्यु उपरांत आवेदन पर हस्ताक्षर पर निकाले गये निष्कर्ष का प्रश्न है अनावेदकगण द्वारा इस संबंध में तहसीलदार के समक्ष उपस्थिति उपरांत आपत्ति प्रस्तुत न करने के कारण मान्य नहीं की जा सकती है क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदकगण ने संतोषिया के मृत्यु के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेजी प्रमाण अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मात्र अनावेदकगण द्वारा उठाये गये तर्कों के आधार पर तहसीलदार के बटवारा में

की गई कार्यवाही को ही त्रुटिपूर्ण मानने में अवैधानिकता की है। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गये निष्कर्ष को ही उचित मानने में त्रुटि की है, इसलिए अपर आयुक्त का आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–05–2014 तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 16–8–2012 निरस्त किये जाते हैं तथा तहसीलदार देवसर जिला सिंगरौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–8–10 उचित होने से स्थिर रखा जाता है।

(के0सी0 जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,